Seventeenth Loksabha

an>

Title:Need to accord the status of Scheduled Tribe to people belonging to Bhuinhar Munda/Bhuinhar caste of Jharkhand.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ । झारखण्ड राज्य के पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों यथा बड़गड, भंडरिया, रंका एवं छतरपुर में बड़े पैमाने पर भूइंहर मुण्डा/भूइंहर समाज के लोग निवास करते हैं । वर्तमान में इस जाति के लोग अनुसूचित जाति में हैं जबकि इनका रहन-सहन, खान-पान, पूजा-पद्धति आदिवासी समाज से मिलती-जुलती है तथा इनकी वर्षों से पुरानी मांग है कि इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाय, ताकि झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभ इन्हें भी मिल सकें । विदित है कि झारखण्ड के सीमावर्ती राज्य छतीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में भूइंहर मुण्डा/भूइंहर जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल है । विदित है कि उक्त संबंध में डॉ. रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान झारखण्ड, रॉची के द्वारा पत्रांक 237, दिनांक 25/02/2021 को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया था । उक्त प्रतिवेदन के आलोक में झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा भूइंहर मुण्डा/भूइंहर जाति को जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु लिए गए निर्णय को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची के प्रधान सचिव के पत्रांक 14/जा.नि.-03-09/2016, का. 1738, दिनांक 18/03/2021 को सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अनुशंसा भेजी गयी है ।

अतः मैं माननीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से माँग करता हूँ कि झारखण्ड सरकार के मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय एवं उक्त संबंध में भेजी गयी अनुशंसा के आलोक में भूइंहर मुण्डा/भूइंहर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई की जाए ।